कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2017–18 के प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पदों के विरूद्ध चयनित कार्मिकों का पदस्थापन इस कार्यालय के आदेश कमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/डीपीसी17–18 दिनांक 31.08.2017 द्वारा किया गया। उक्त आदेश में क्रम सं 279, वरिष्ठता कमांक 513 (2007–08), श्री गोपाल राम भाकर, व्याख्याता राउमावि दादू बासनी, नागौर को पदौन्नति उपरान्त जरिए काउन्सलिंग उनकी सहमति से राउमावि, आमलिया, गुढामलानी, बाडमेर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर पदस्थापित किया गया जहां पर याचिकार्थी द्वारा दिनांक 01.09.17 को कार्यग्रहण कर लिया गया।

श्री गोपाल राम भाकर ने तत्समय नागौर जिले के समीपवर्ती विद्यालयों को काउन्सलिंग में प्रदर्शित नहीं करने, शाला दर्पण पोर्टल पर सभी रिक्तियों को नहीं दर्शाये जाने और काउन्सलिंग प्रकिया में पारदर्शिता का अभाव होने आदि आक्षेपों के साथ माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 20929/2017 श्री गोपाल राम भाकर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 17.11.2017 को पारित निर्णय द्वारा प्रार्थी को अप्रार्थीगण के समक्ष अपनी परिवेदना व्यक्त करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा उसे 04 सप्ताह के भीतर विधि अनुसार कन्सीडर कर सकारण स्पीकिंग ऑर्डर के जरिए निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उनसे पुनः विकल्प लेकर जिले के समस्त रिक्त पदों को प्रदर्शित करते हुए रिकाउन्सलिंग द्वारा स्वयं का पदस्थापन गृह जिले नागौर में किये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी से सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। याचिकार्थी की काउन्सलिंग वरिष्ठतानुसार की गई थी और उनके द्वारा अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान का चयन विकल्प प्रस्तुत कर सहमति पत्र के माध्यम से किया गया था। जहां तक याचिकार्थी के जिले के सभी रिक्त पदों को काउन्सलिंग में प्रदर्शित नहीं किये जाने का प्रश्न है तो शासन के पत्र कमांकः प.17(4) शिक्षा–2/2009 दिनांकः 12.02.2016 के अनुसार काउन्सलिंग में केवल स्पष्ट रूप से रिक्त पदों को ही शामिल करने हेतु निर्देश प्राप्त हैं। काउन्सलिंग के दौरान रिक्तियों को प्रशासनिक आवश्यकता और विभागीय प्राथमिकता के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है। **उपरोक्तानुसार प्रत्येक जिले से पदौन्नत हुए प्रधानाचार्यों की संख्या अथवा जिले में स्पष्ट रूप से रिक्त पदों की संख्या जो भी कम हो, के बराबर पदौन्नत प्रधानाचार्यों के पदस्थापन हेतु रिक्तियों का जिलेवार संख्यात्मक आवंटन किया जाता है।** इस प्रकार विभाग द्वारा आयोजित काउन्सलिंग की प्रकिया पूर्णतः पारदर्शी एवं निष्पक्ष है। **अतः याचिकार्थी द्वारा की गई पुनः काउन्सलिंग सम्बन्धी मांग किसी भी दृष्टि से स्वीकार योग्य नहीं है।** याचिकार्थी द्वारा धारित प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष का पद राज्य सेवा का पद है और राज्य एवं लोक हित में उनका पदस्थापन राज्य में कहीं पर भी किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। इसी को मध्यनजर रखते हुए याचिकार्थी **श्री गोपाल राम भाकर, प्रधानाचार्य राउमावि– आमलियाला, गुढामलानी, बाडमेर का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।** सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

कमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/गोपालराम/याचिका–20929/2017 दिनांकः 03.04.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा बाडमेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित संस्था प्रधान ।
8. संबंधित कार्मिक/याचिकार्थी को आदेश की पालनार्थ।
9. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

माननीय अपील अधिकरण जयपुर में दायर अपील संख्या 1742/2017 श्रीमती मुकेशा कुमारी बनाम श्रीमान निदेशक प्रकरण में माननीय अधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 04.01.2018 में प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों व मुख्य रूप से अपीलार्थी की सहमति को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश प्रदान किया गया कि अपीलार्थी उक्त आदेश के 15 दिवस के भीतर सक्षम प्राधिकारी/संदर्भित प्रत्यर्थी विभाग को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देश/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी के अभ्यावेदन प्राप्ति के एक माह के भीतर नियमानुसार विचार कर एक आख्यात्मक आदेश प्रसारित करते हुए अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाए।

अपीलार्थी श्रीमती मुकेशा कुमारी को पदौन्नति उपरान्त जरिए काउन्सलिंग उनके सहमति पत्र के आधार पर विभागीय आदेश दिनांकः 16.10.2017 द्वारा राआउमावि–न्यांगल छोटी राजगढ, चुरू में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर पदस्थापित किया गया था जहां पर अपीलार्थी द्वारा दिनांकः 26.10.2017 को कार्यग्रहण कर लिया गया।

माननीय अधिकरण के अपील संख्या 1742/2017 में पारित निर्णय दिनांक 04.01.2018 के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में काउन्सलिंग के समय राउमावि–खुन्दरोठ, नीमराना, अलवर, राबाउमावि–रामगढ, अलवर को रिक्तियों में प्रदर्शित नहीं किये जाने सम्बन्धी शिकायत की गई एवं अपना पदस्थापन अलवर जिले में राआउमावि–रायसराना, नीमराना अथवा राआउमावि–रोडवाल, नीमराना, अलवर किये जाने की परिवेदना की गई।

अपीलार्थी श्रीमती मुकेशा कुमारी से सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी को पूर्व में काउन्सलिंग के समय नियमानुसार महिला वर्ग का लाभ देकर ही वरिष्ठतानुसार काउन्सलिंग की गई थी और उनके द्वारा अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत कर सहमति प्रदान की गई थी। जहां तक अपीलार्थी के जिले के सभी रिक्त पदों को काउन्सलिंग में प्रदर्शित नहीं किये जाने का प्रश्न है तो शासन के पत्र क्रमांकः प.17(4) शिक्षा–2/2009 दिनांकः 12.02.2016 के अनुसार काउन्सलिंग में केवल स्पष्ट रूप से रिक्त पदों को ही शामिल करने हेतु निर्देश प्राप्त हैं। काउन्सलिंग के दौरान रिक्तियों को प्रशासनिक आवश्यकता और विभागीय प्राथमिकता के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है। उपरोक्तानुसार प्रत्येक जिले से **पदौन्नत हुए प्रधानाचार्यों की संख्या अथवा जिले में स्पष्ट रूप से रिक्त पदों की संख्या जो भी कम हो, के बराबर पदौन्त प्रधानाचार्यों के पदस्थापन हेतु रिक्तियों का जिलेवार संख्यात्मक आवंटन किया जाता है।** इस प्रकार विभाग द्वारा आयोजित काउन्सलिंग की प्रकिया पूर्णतः पारदर्शी एवं निष्पक्ष है। **अतः अपीलार्थी द्वारा की गई पुनः काउन्सलिंग सम्बन्धी मांग किसी भी दृष्टि से स्वीकार योग्य नहीं है।** अपीलार्थी द्वारा धारित प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष का पद राज्य सेवा का पद है और राज्य एवं लोक हित में उनका पदस्थापन राज्य में कहीं पर भी किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। इसी को मध्यनजर रखते हुए अपीलार्थी **श्रीमती मुकेशा कुमारी, प्रधानाचार्या राउमावि–न्यांगल छोटी, राजगढ, चुरू का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।**

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/मुकेशा कुमारी/अपील/1742/2017 दिनांकः 03.04.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. सम्बन्धित उपनिदेशक।
3. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।

5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित संस्था प्रधान ।
8 .संबंधित कार्मिक/याचिकार्थी को आदेश की पालनार्थ।
9. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)